



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to LightOff.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/49-2020 PGT-II (7) DATED, PANCHKULA 11.12.2020

Smt. Vandana Aggarwal, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Garnala (Ambala) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 14.12.2020 to 20.02.2021 (69 Days) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/ 28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 14/12/20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Ambala w.r.t. their letter No. E-2/2020/10778 dated 19.11.2020.
2. Principal/Headmaster concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

1/11/20
DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2020.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER

Order No. 5/10-2019 PGT-II (6) Dated Panchkula the 10.12.2020

The On Road period of Dr. Pardeep Kumar, PGT Hindi, Govt. Senior Secondary. School, Karanpur (Panchkula) from 16.01.2012 to 17.02.2012 is hereby treated as duty period for all intents and purposes as provided in Sub Rule 2 and Sub Rule 4 of Rule 7.3 of C.S.R. Volume I Part I.

**J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula the, 14-12-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Panchkula.
3. Principal, Govt. Senior Secondary. School, Karanpur (Panchkula).
4. Dr. Pardeep Kumar, PGT Hindi, Govt. Senior Secondary. School, Karanpur (Panchkula).
- ✓ 5. IT Cell (Local).


**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/91-2020 PGT-II (7)

DATED, PANCHKULA 11.12.2020

Smt. Reena, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Barna (Kurukshetra) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 12.12.2020 to 10.02.2021 (61 days) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/ 28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN, IAS
 DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 14/12-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Kurukshetra w.r.t. their letter No. E-2/2020/9039 dated 28.10.2020.
2. Principal/Headmaster concerned.
3. Official concerned.
- ✓ 4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

DY. SUPERINTENDENT PGT-II
 FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
 HARYANA, PANCHKULA

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2020.docx

 Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/80-2020 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA 11.12.2020

Smt. Suman, PGT Hindi, Govt. Sr. Sec. School, Badhra (Charkhi Dadri) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **15.12.2020 to 14.03.2021 (90 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 14/12/20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, **Charkhi Dadri** w.r.t. their letter No. E-II-2020/3277 dated 02.12.2020.
2. Principal/Headmaster concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Smah
DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2020.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER NO. 18/84-2020 PGT-III (9) DATED, PANCHKULA THE 09.12.2020

Smt. Neha, PGT English, Govt. Sr. Sec. School Kasar (Jhajjar) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **22.12.2020 to 20.03.2021** as per Finance Department instructions No. 11/ 102/ 2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/ 102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**NITIN KUMAR YADAV
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 11/12/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Jhajjar w.r.t. his/her memo No. E-2-20/1777 dated 10.11.2020.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School Kasar (Jhajjar).
3. Smt. Neha, PGT English, Govt. Sr. Sec. School Kasar (Jhajjar).
4. IT Cell for uploading the orders on website.


**Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

ORDER NO. 12/95-2020 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA THE 20.10.2020

Sanction is accorded to the re-imbusement of Medical Charges amounting to **Rs. 4,23,571/- (Rs. Four Lac Twenty Three Thousand Five Hundred Seventy One only)** to **Smt. Dharam Devi, PGT Hindi, Govt. Girls High School, Lohani (Bhiwani)** as noted treatment of **herself** at **Fortis Escort Institute, New Delhi** on the advice of authorized Medical Attendants:-

| Sr. No. | Name of Claimant | Amount | Relation with Patient | Period of Treatment |
|---|--|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Smt. Dharam Devi, PGT Hindi, Govt. Girls High School, Lohani (Bhiwani) | Rs. 4,23,571/- | Self | 24.07.2019 to 12.08.2019 |
| (Rs. Four Lac Twenty Three Thousand Five Hundred Seventy One only) | | | | |

1. The re-imbusement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/Haryana Services (Medical Attendants) Rules, 1940.
2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the Patient and that no cheaper substitute was possible.
3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

**J. GANESAN, IAS
SPECIAL SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 08-12-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


Regd.

1. District Education Officer, **Bhiwani** w.r.t. his/her Memo. E-1-2020/1185 dated 17.07.2020. The original Medical Bills and vouchers are attached herewith.
2. Treasury Officer, Concerned.
3. Headmaster, Govt. Girls High School, Lohani (Bhiwani).
4. Smt. Dharam Devi, PGT Hindi, Govt. Girls High School, Lohani (Bhiwani).
- ✓ 5. IT Cell (Local).

**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 12/116-2020 PGT-II (7)

Dated, Panchkula the 24.11.2020

Permission is hereby granted to **Smt. Rinki, PGT Economics, Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahu Jholri (Jhajjar)** to change the option from fixed medical allowance to open reimbursement of medical expenses for the outdoor treatment of chronic disease w.e.f. **21.08.2020** in terms of Haryana Government instructions issued time to time on the following conditions:-

1. That she will not be entitled to the fixed medical allowances w.e.f. **21.08.2020**. After the date of change of option the allowances, if received, will have to be deposited in Government treasury.
2. The medical certificate will be reviewed after a period of two years.
3. The reimbursement will be made only for Eighteen chronic diseases which have been declared by the Haryana Government.

NITIN KUMAR YADAV, IAS
DIRECTOR GENERAL ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED PANCHKULA, THE 10/11/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Jhajjar** w.r.t. his/her Memo No. E-2-20/1727 dated 29.10.2020.
2. Concerned Treasury Officer.
3. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahu Jholri (Jhajjar).
4. Smt. Rinki, PGT Economics, Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahu Jholri (Jhajjar)
5. IT Cell (Local).

Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

E:\Singla Office\Option Change\Fix to Open Sanction new.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



Regd.

From

Director Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

The District Education Officer,
Panchkula.

Memo No. 14/32-2020 PGT-II (3)


Dated, Panchkula the 11/12/2020

Subject:- Permission for going abroad – Smt. Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula.

Kindly refer to your letter No. E-1-2020/6274 dated 30.10.2020 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to Smt. Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula to go abroad at #43, Enclosure Drive, Morgan Ville, New Jersey, USA to look after her daughter during delivery for the period from **24.12.2020 to 23.02.2021** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after getting leave sanctioned.
2. That she will handover the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faithful to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.


**Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst No. Even

Dated Panchkula the 11/12/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Smt.Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula.

2. I.T Cell (H.O) for uploading the orders on the official website

Regd.

From

Director Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

The District Education Officer,
Panchkula.

Memo No. 14/32-2020 PGT-II (3)


Dated, Panchkula the 11/12/2020

Subject:- Permission for going abroad – Smt. Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula.

Kindly refer to your letter No. E-1-2020/6274 dated 30.10.2020 on the subject cited above.

The permission of the Government is hereby accorded to Smt. Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula to go abroad at #43, Enclosure Drive, Morgan Ville, New Jersey, USA to look after her daughter during delivery for the period from **24.12.2020 to 23.02.2021** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after getting leave sanctioned.
2. That she will handover the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faithful to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.



**Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst No. Even

Dated Panchkula the 11/12/2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Smt.Rekha Goel, PGT Home Science, Govt. Model Sanskrit Sr. Sec. School, Sector-20, Panchkula.
2. I.T Cell (H.Q) for uploading the orders on the official website.


**Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



सेवा में,

Principal GSSS-Farrukh Nagar[735], Gurugram
Principal GSSS-Farrukh Nagar[735], Gurugram
Principal GSSS-Pataudi[736], Gurugram
Principal GSSS-Pataudi[736], Gurugram
Principal GSSS-Sohna[853], Gurugram
Principal GSSS-Sohna[853], Gurugram
Principal GMSSSS-Gurgaon (Sushant Lok)[5520], Gurugram

यादी क्रमांक kw 2/62-2020 w (1) Group: 313
दिनांक पंचकुला 10-12-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--|--|-------------------|
| 1 GSSS Farrukh Nagar (Gurugram) [735] | Construction/repair of urinals and toilets | 300000.00 |
| 2 GSSS Farrukh Nagar (Gurugram) [735] | Minor repair of school building | 60000.00 |
| 3 GSSS Pataudi (Gurugram) [736] | Construction/repair of urinals and toilets | 150000.00 |
| 4 GSSS Pataudi (Gurugram) [736] | Minor repair of school building | 200000.00 |
| 5 GSSS Sohna (Gurugram) [853] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 6 GSSS Sohna (Gurugram) [853] | Minor repair of school building | 500000.00 |
| 7 GMSSSS Gurgaon (Sushant Lok) (Gurugram) [5520] | Minor repair of school building | 480000.00 |
| कुल राशि | | 3190000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

EBD

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला:- 11-12-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त गुड़गांव
- 3 जिला खजाना अधिकारी गुड़गांव
- 4 उप खजाना अधिकारी, पटोदी/सोहना/फारूख नगर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा में,

Principal GSSS-Hathin[979], Palwal
Principal GSSS-Hathin[979], Palwal
Principal GSSS-Prithla[995], Palwal
Principal GSSS-Hodal[1002], Palwal
Principal GSSS-Barauli[1174], Palwal

यादी क्रमांक kw 2/62-2020 w (1) Group: 310
दिनांक पंचकुला 10-12-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 GSSS Hathin (Palwal) [979] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 2 GSSS Hathin (Palwal) [979] | Minor repair of school building | 720000.00 |
| 3 GSSS Prithla (Palwal) [995] | Construction/repair of urinals and toilets | 900000.00 |
| 4 GSSS Hodal (Palwal) [1002] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 5 GSSS Barauli (Palwal) [1174] | Construction/repair of urinals and toilets | 600000.00 |
| | कुल राशि | 5220000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकूला: - 11-12-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Garhi Bolni[2474], Rewari
 Principal GSSS-Garhi Bolni[2474], Rewari
 Principal GSSS-Bodia Kamalpur[2519], Rewari
 Principal GSSS-Bodia Kamalpur[2519], Rewari
 Principal GMSSSS-Tatarpur Istmurar[2545], Rewari
 Principal GMSSSS-Tatarpur Istmurar[2545], Rewari
 Principal GSSS-Gudiani[2613], Rewari
 Principal GSSS-Gudiani[2613], Rewari
 Principal GSSS-Pitharawas[2638], Rewari
 Principal GSSS-Pitharawas[2638], Rewari

यादी क्रमांक kw 2/62-2020 w (1) Group: 312
 दिनांक पंचकुला 10-12-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--|--|-------------------|
| 1 GSSS Garhi Bolni (Rewari) [2474] | Minor repair of school building | 500000.00 |
| 2 GSSS Garhi Bolni (Rewari) [2474] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 3 GSSS Bodia Kamalpur (Rewari) [2519] | Construction/repair of urinals and toilets | 600000.00 |
| 4 GSSS Bodia Kamalpur (Rewari) [2519] | Minor repair of school building | 140000.00 |
| 5 GMSSSS Tatarpur Istmurar (Rewari) [2545] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 6 GMSSSS Tatarpur Istmurar (Rewari) [2545] | Minor repair of school building | 500000.00 |
| 7 GSSS Gudiani (Rewari) [2613] | Construction/repair of urinals and toilets | 632334.00 |
| 8 GSSS Gudiani (Rewari) [2613] | Minor repair of school building | 46900.00 |
| 9 GSSS Pitharawas (Rewari) [2638] | Construction/repair of urinals and toilets | 900000.00 |
| 10 GSSS Pitharawas (Rewari) [2638] | Minor repair of school building | 900000.00 |
| | कुल राशि | 7219234.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष: 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

ए.ए.ए.
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला:- 11-12-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020--1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।

अधीक्षक निर्माण
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
९१



सेवा मे,

Principal GSSS-Ateli[3856], Mahendergarh
Principal GSSS-Dholera[3870], Mahendergarh
Principal GSSS-Dholera[3870], Mahendergarh
Principal GSSS-Kanina[3874], Mahendergarh
Principal GSSS-Narnaul[3887], Mahendergarh
Principal GSSS-Narnaul[3887], Mahendergarh
Principal GMSSSS-Mahendergarh[4100], Mahendergarh
Principal GMSSSS-Mahendergarh[4100], Mahendergarh

यादी क्रमांक kw 2/62-2020 w (1) Group: 311
दिनांक पंचकुला 10-12-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
2020-21 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|---|--|-------------------|
| 1 GSSS Ateli (Mahendergarh) [3856] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 2 GSSS Dholera (Mahendergarh) [3870] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 3 GSSS Dholera (Mahendergarh) [3870] | Minor repair of school building | 878000.00 |
| 4 GSSS Kanina (Mahendergarh) [3874] | Minor repair of school building | 100000.00 |
| 5 GSSS Narnaul (Mahendergarh) [3887] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 6 GSSS Narnaul (Mahendergarh) [3887] | Minor repair of school building | 480000.00 |
| 7 GMSSSS Mahendergarh (Mahendergarh) [4100] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 8 GMSSSS Mahendergarh (Mahendergarh) [4100] | Minor repair of school building | 450000.00 |
| | कुल राशि | 7908000.00 |

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा

करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला- 11-12-2020

पृष्ठांकन क्रमांक kw 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़
- 3 जिला खजाना अधिकारी महेन्द्रगढ़
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Goela Khurd[2025], Panipat
 Principal GSSS-Raja Kheri[2059], Panipat
 Principal GSSS-Chulkana[2082], Panipat
 Principal GSSS-Israna[2093], Panipat
 Principal GSSS-Israna[2093], Panipat
 Principal GSSS-Madlauda[2106], Panipat
 Principal GSSS-Madlauda[2106], Panipat
 Principal GMSSSS-Panipat (G T Road)[2130], Panipat
 Principal GMSSSS-Panipat (G T Road)[2130], Panipat
 Principal GMSSSS-Panipat (G T Road)[2130], Panipat

यादी क्रमांक kw 2/62-2020 w (1) Group: 314
 दिनांक पंचकुला 10-12-2020

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ध 2020-21 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|---|---|-------------------|
| 1 GSSS Goela Khurd (Panipat) [2025] | Construction/repair of urinals and toilets | 600000.00 |
| 2 GSSS Raja Kheri (Panipat) [2059] | Construction/repair of urinals and toilets | 300000.00 |
| 3 GSSS Chulkana (Panipat) [2082] | Construction/repair of urinals and toilets | 600000.00 |
| 4 GSSS Israna (Panipat) [2093] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 5 GSSS Israna (Panipat) [2093] | Minor repair of school building | 500000.00 |
| 6 GSSS Madlauda (Panipat) [2106] | Minor repair of school building | 1500000.00 |
| 7 GSSS Madlauda (Panipat) [2106] | Construction/repair of urinals and toilets | 250000.00 |
| 8 GMSSSS Panipat (G T Road) (Panipat) [2130] | Construction/repair of urinals and toilets | 1500000.00 |
| 9 GMSSSS Panipat (G T Road) (Panipat) [2130] | Minor repair of school building | 240000.00 |
| 10 GMSSSS Panipat (G T Road) (Panipat) [2130] | Completing certain pre-requisites for affiliation of CBSE | 465000.00 |
| | कुल राशि | 7455000.00 |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार

कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


^{६६६}
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक kw 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला:- 11-12-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DDO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 इन्चार्ज अकैडमिक सैल (शिक्षा निदेशालय)।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
१